

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन)

अधिनियम, 2003 को, हरियाणा राज्यार्थ,

आगे संशोधित करने

के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 की धारा 3 का संशोधन। 2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ड) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(ड) “हुक्का बार” से अभिप्राय है, कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जहां व्यक्ति हुक्का या नार्गली से तंबाकू का धूमपान करने के लिए एकत्रित होते हैं, जो एक वाणिज्यिक सेवा के रूप में व्यक्तिक रूप से उपबन्ध करवाया जाता है किन्तु इसमें परम्परागत हुक्का शामिल नहीं है;’।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 में धारा 4-क का रखा जाना। 3. मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
“4-क. हुक्का बार का प्रतिषेध.- इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, न तो स्वयं या न ही किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त, कोई हुक्का बार खोलेगा या चलाएगा या किसी भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहक को हुक्का परोसेगा।
व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों हेतु, “भोजनालय” से अभिप्राय है, कोई स्थान, जहां आगन्तुकों को उपभोग के लिए किसी भी प्रकार का भोजन या जलपान उपलब्ध करवाया या बेचा जाता है।”।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 की धारा 12 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में,-
(i) खण्ड (ख) में, चिह्न “I” के स्थान पर, “; या” चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“(ग) जहां पर कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है।”।

2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 में धारा 13-क का रखा जाना। 5. मूल अधिनियम की धारा 13 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
“13-क. हुक्का बार को जब्त करने की शक्ति.- यदि उप-निरीक्षक की पदवी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत खाद्य तथा औषधि प्रशासन विभाग के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4-क के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, तो वह हुक्का बार की विषय-वस्तु या साधन के रूप में उपयोग किए जा रहे किसी पदार्थ या सामग्री को जब्त कर सकता है।”।

2003 के केन्द्रीय 6. मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

अधिनियम 34 की धारा 20 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,-

(क) “कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी” शब्दों के बाद आने वाले “या” शब्द के स्थान पर, “और” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) “अथवा दोनों से,” शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ग) “हजार” शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, “लाख” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) में,-

(क) “कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी” शब्दों के बाद आने वाले “या” शब्द के स्थान पर, “और” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) “अथवा दोनों से” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ग) “हजार” शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, “लाख” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2003 के केन्द्रीय 7. मूल अधिनियम की धारा 21 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

अधिनियम 34 में धारा 21-क का रखा जाना।

“21-क. हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड.- जो कोई भी धारा 4-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं हो सकेगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।”।

2003 के केन्द्रीय 8. मूल अधिनियम की धारा 27 में,-

अधिनियम 34 की धारा 27 का संशोधन।

(क) उपांतिक शीर्ष में, “जमानतीय” शब्द के स्थान पर, “अजमानतीय” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) “जमानतीय” शब्द के स्थान पर, “अजमानतीय” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2003 के केन्द्रीय 9. मूल अधिनियम की धारा 27 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

अधिनियम 34 में धारा 27-क का रखा जाना।

“27-क. अपराध का संज्ञेय होना.-धारा 4-क के अधीन अपराध संज्ञेय होगा।”।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण